(SSC GD 2025)

(अवसर बैंच)

Polity

(Class - 10)

→ न्यायिक शक्तियाँ (Judicial powers)

क्षमादान की शक्ति - अनु-72 के तहत् राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardon) की शक्ति प्रदान की गयी है। Power of Pardon: Under Art 72, the president has been given the power of pardon.

राष्ट्रपति
→ Death of Sentence (मृत्युदण्ड) को माफ कर सकते हैं।

Criminal (अपराधी)
→ न्यायालय द्वारा जिन्हें सजा दी जा चुकी उनकी सजा को राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

- राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रतिलम्बने, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है The president can pardon or grant reprieve, remission, respite or commute the punishment of a person convicted of any offence.

Pardon (क्षमा) ⇒ जब अपराधी की सजा उसे पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है।

(प्रविलंबन)
Reprieves ⇒ मृत्युदंड को निलंबित (suspend) किया जाता है।

→ Remission (परिहार) ⇒ इसमें सजा की कमी
ex ⇒ 20 वर्ष कठोर कारावास
→ 10/5/15 कठोर कारावास

⇒ लघुकरण (commute) - इसमें सजा में कमी की जाती है।
⇒ सजा की प्रकृति में परिवर्तन

ex = 10 वर्ष का कठोर कारावास
− 5 वर्ष का साधारण कारावास

⇒ Respite (विराम) ⇒ विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सजा को माफ किया जाता है।

परामर्श का अधिकार - अनु- 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (consult) का अधिकार दिया गया है। Right to consultation - Art 143 gives the president the right to consult the supreme court.

किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है But he is not bound to accept the opinion of the supreme court.

Art. 143 → राष्ट्रपति को अधिकार
⇓
उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार

⇒ विधिक मामलें पर परामर्श

⇒ राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। (परामर्श ⇓ consult (Advice / सलाह))

→ वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

- भारत की 'आकस्मिक निधि' (contigency fund) पर भी उसका नियंत्रण होता है। He also has control over India's 'contingency fund'.
  - आकस्मिक निधि ⇒ Art. 267 → लेकिन पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति को संसद को बताना पड़ता है क्योंकि इस फंड में पैसा संचित निधि से आता है।

↘ राष्ट्रपति consolidated fund of India (भारत की संचित निधि) ⇒ संसद (Parliament) का नियंत्रण

अनु. 280 उसे एक वित्त आयोग (finance commission) नियुक्त करने का भी अधिकार है Art. 280 He also has the power to appoint a finance commission.

Art. 280 ⇒ वित्त आयोग (finance commission)

⇒ इस आयोग को गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

=> उसमें एक अध्यक्ष (chairman) + 4 other members
(4 अन्य सदस्य)
⇓
इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

=> प्रथम वित्त आयोग का गठन => 1951
formed of first fianance Commission.

=> कार्य प्रारम्भ => 1952 - 1957

=> प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष => के० सी० नियोगी
Chairman of first finance commission.

=> वर्तमान में अध्यक्ष -> एन० के० सिंह
(2020 - 2025) => 15वाँ वित्त आयोग

=> 16 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष => अरविंद पनगढ़िया।

=> धन विधेयक (Money Bill) राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोक सभा में पेश किया जाता है। Money bill introduced in L.S. but after approval of president

=> संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष (every financial year → 1 April - 31 March) का बजट वित्त मंत्री से पेश करने के लिए राष्ट्रपति कहते हैं। finance minister

→ सैन्य शक्तियाँ (Military powers)

• भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है, The president of India is the commander-in-chief of the three armed forces Army, Air force and Navy).

थल सेना
वायु सेना } commander-in-chief प्रधान सेनापति => राष्ट्रपति
नौ सेना

• उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। He has the power to declare war and establish peace.

वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है।
le also appoints the three ~~any~~ army chiefs

→ राजनयिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)

राजदूतों की नियुक्ति करता है USA राजदूत
appoints ambassadors

विदेशों से संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं, Treaties and agreements with foreign countries are also made in the name of the president.

ex- पेटन
(USA)

आपातकालीन उपबंध
(Emergency provision)

⇓

Part (भाग) = 18
Art. (अनु०) = 352 - 360

→ इन्हें जर्मनी के संविधान से लिया गया।
(Takin from Germany)

① राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)
→ (Art. 352)

② राष्ट्रीय शासन (Presidential rule) → Art. 356

③ वित्तीय आपातकाल (financial Emergency) → Art. 360

⇒ राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)

→ घोषणा राष्ट्रपति द्वारा लेकिन मंत्रीमंडल की लिखित अनुमति से Announced by the president but after written approval of cabinet.

→ आधार (Ground's) ↳ 44 CA 1978

① युद्ध (war)

② बाह्य आक्रमण (external Agression)

③ सशस्त्र विद्रोह

Armed rebellion

↳ 44वाँ CA 1978

⟹ कितनी बार लगी है।

1962 → चीन का आक्रमण

1971 → पाक॰ " "

1975 → आंतरिक अशांति (Internal Disturbance)